

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली -110016

नोटिस

कैंटीन संचालन हेतु फर्म पंजीकरण के संबंध में सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि [केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली में कैंटीन संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र फर्मों/एजेंसियों का पंजीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः कैंटीन संचालन में रुचि रखने वाली इच्छुक फर्मों/एजेंसियों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत करें—

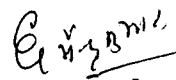
1. फर्म/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
2. वैध **FSSAI** लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
3. GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
4. PAN कार्ड की प्रति।
5. कैंटीन/खानपान सेवाओं के संचालन का अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो।
6. अन्य आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हों।

इच्छुक फर्मों/एजेंसियाँ अपने आवेदन एवं उपर्युक्त दस्तावेज दिनांक **28.09.2026**, 3.30 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती हैं।

फर्मों को पंजीकरण हेतु अपने आवेदन पत्र सहायक आयुक्त (सेवा एवं आपूर्ति) को सूचित किए जाने चाहिए जिन्हें कमरा संख्या- 11 प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110016 में जमा किए जाना चाहिए।

प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों की जांच फर्मों/एजेंसियों से के उपरांत पात्र फर्मों/एजेंसियों का **GFR -150** के अंतर्गत पंजीकरण किया जाएगा तथा योग्य पाई जाने वाली फर्मों को **GFR-162** के अंतर्गत निविदा सूचना प्रेषित की जाएगी। जिसमें सक्षमाधिकारी द्वारा गठित एवं अनुमोदित समिति के द्वारा संस्तुत मदों/दरों को फर्मों को भेजा जाएगा।

अधिकतम कैंटीन किराया देने वाली फर्म को **L-1** फर्म घोषित किया जाएगा जो इस कार्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित दरों/नियम एवं शर्तों के अनुसार काम करेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षमाधिकारी का निर्णय सर्वमान्य तथा अनुपालनीय होगा।


07/9/2026
सहायक आयुक्त (सेवा एवं आपूर्ति)

प्रति:-

1. सहायक आयुक्त (सूचना प्रद्योगिकी) के.वि.सं. (मुख्यालय), नई दिल्ली को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।